[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त-मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2020- सीमाशुल्क

नयी दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 2020

सा. का. नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्ठिओं में विनिर्दिष्ट तरीके से किये जायेंगे, यथा::-

**सारणी**

| **क्रम संख्या** | **अधिसूचना सं. और तारीख** | **संशोधन** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 252 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा] | उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, उपवाक्य (iii) के परंतुक में, अंकों और शब्द "31 मार्च 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "31 मार्च 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2. | 18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 254 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा] | उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द "31 मार्च 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "31 मार्च 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। . |
| 3. | 20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 256 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा] | उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiv) में, अंकों और शब्द "31 मार्च 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "31 मार्च 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। . |
| 4. | 22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 258 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा] | उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द "31 मार्च 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "31 मार्च 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। . |
| 5. | 45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [*सा.का.नि. सं.* 795 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2016 के द्वारा] | उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में शर्त (xii) में, अंकों और शब्द "31 मार्च 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "31 मार्च 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। . |

[फा.सं. 605/52/2017-डीबीके, खंड-II]

(गोपाल कृष्ण झा)

निदेशक (ड्राबैक)

**नोट:**

(1) प्रधान अधिसूचना सं. 16/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 25 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

(2) प्रधान अधिसूचना सं. 18/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 25 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

(3) प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 25 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

(4) प्रधान अधिसूचना सं. 22/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 25 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

(5) प्रधान अधिसूचना सं. 45/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. 795(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 25 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।